विलोपित विलोपित विलोपित

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

प्र.क्र. एक–निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/
निगरानी – 3480/2018/टीकमगढ़/भू.रा

श्रीमती देवीवाई पुत्री स्व. हीरा गड़रिया
ग्राम बनपुरा खुर्द तहसील बल्देवगढ़
जिला टीकमगढ़ , मध्य प्रदेश ----आवेदिका

विरूद्ध

1- मनीराम
2- रगवर
पुत्रगण स्व. हीरा गड़रिया
ग्राम बनपुरा खुर्द तहसील बल्देवगढ़
जिला टीकमगढ़ , मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

... दि. 5.6.18 को ... तर्क हेतु ... 14.6.18 नियत ... आफिस कोर्ट 6.18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

(तहसीलदार बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ–6/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 6–12–2017 के विरूद्ध निगरानी – म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत)

महोदय,

G.P. Nayak Adv. 4.1.18

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि स्वर्गीय हीरा पुत्र गन्टोला गड़रिया के नाम ग्राम बनपुरा खुर्द में खाता नंबर 262 पर भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 1.103 हैक्टर हिस्सा 1/2 तथा खाता नंबर 261 पर कुल किता 7 कुल रकबा 2–233 में से हिस्सा 0.372 तथा खाता कमांक 260 कुल किता 1 कुल रकबा 2.630 में से हिस्सा 1/4 यानि रकबा 0.657 हैक्टर भूमि थी, जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 1 पर आदेश दिनांक 10–4–17 से निम्नवत् वारिसान का नामान्तरण किया गया।

स्वर्गीय हीरा पुत्र गन्टोला गड़रिया

विवाहिता पत्नि श्रीमती दुर्जीवाई एकमात्र पुत्री देवी वाई	रखैल पत्नि नाम अज्ञात मनीराम रगवर पुत्र पुत्र

आवेदिका एंव अनावेदक एक ही पिता के पुत्र/पुत्री है किन्तु दोनों की मातायें अलग अलग हैं इसीका फायदा उठाते हुये अनावेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष केवल स्वयं को मृतक हीरा का पुत्र बताते हुये नामान्तरण आदेश दिनांक 10–4–17 को सुधारने का आवेदन दे

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3480/2018/टीकमगढ़/भू.रा. देवीबाई विरूद्ध मनीराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 2/अ-6/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 06-12-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 05-06-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

11.02.19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

11.02.19

(आर.के. जैन)
सदस्य